

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (उर्जा) नई दिल्ली,

शाखा-कार्यालय, चतुर्थ तल,प्रशासनिक भवन, बीएचईएल, भोपाल- 462022

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)NEW DELHI,

BRANCH OFFICE BHOPAL, 4TH FLOOR, ADMN, BUILDING, BHEL, BHOPAL - 462022 Email - <u>brmab3ndbhopal@cag.gov.in</u>, Tel. 0755-2500721/2502350

क्रमांक. निवालेप/प्रशा/सेवानिवृत्त अधिकारियों को hire करना/110/2021-22/

दिनांक: /05/2023

अधिस्चना

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा), नई दिल्ली के भोपाल शाखा कार्यालय में, मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 967-Staff (App-1/22-2016 दिनांक 03.08.2021 के अंतर्गत ज़ारी परिपत्र संख्या 27/2021 की शर्तों एवं निर्वधनों के अनुसार, अल्पावधि अनुबंध आधार पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिन्यिक) के पद पर कार्य करने को इच्छ्क सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिन्यिक) से आवेदन आमंत्रित हैं।

संविदागत कर्मचारियों पर सामान्यतः निम्न लिखित शर्तें एवं निर्बन्धनें लागू होंगीः

- 1. अनुबंध की अविध आमतौर पर प्रारंभिक अविध के लिए होगी जो साधारण रूप से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं जिसे एक और वर्ष तक के लिए बढाया जा सकेगा। अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति को प्रदत्त कार्य एवं उसके कार्यनिष्पादन के आधार पर अविध को इस शर्त पर विस्तार प्रदान किया जा सकेगा कि यह विस्तार अधिवर्षिता के 5 वर्ष के पश्चात नहीं दिया जाएगा।
- 2. आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3. अनुबंध को बिना कोई कारण बताए समाप्त अथवा कम किया जा सकता है।
- 4. अल्पावधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को भारत सरकार के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा का वाक्यांश निहित होगा।
- 5. देय पारिश्रमिक और भत्ता व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई.III ए दिनांक 09.12.2020 द्वारा निर्धारित होंगे-
- i.सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाकर एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अन्बंध की अविध के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
- ii. अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।
- iii. अनुबंध की अविध के दौरान कोई महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
- iv. आवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि अनुमत्य होगी जोकि नियुक्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अविध के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

6. अल्पाविध अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की सवैतनिक छुट्टी की अनुमित दी जा सकती है। एक कलैण्डर वर्ष के बाद अवकाश संचयन की अनुमित नहीं दी जायेगी। हालांकि, कर्फ्यू, बंद/हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति से उसी तरह निपटा जाना चाहिए जैसे सेवारत अधिकारियों के मामले में होता है।

9. यदि अल्पाविध अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ऊपर बताए गए कारणों के अलावा किसी महीने में भुगतान किए गए अवकाश से ज्यादा अविध तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके पारिश्रमिक की कटौती आनुपातिक आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

निर्धारित मासिक पारिश्रमिक X अनुपस्थित दिवसों की संख्या/ कार्यदिवस

22

- 10. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी।
- 11. कार्यालय को अधिसूचना को रद्द करने या नियत तारीख को बढ़ाने या नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा।

भा.ले.ले.प. विभाग के इच्छुक सेवानिवृत्त विषठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी(वाणिज्यिक) जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उपर्युक्त कार्य/नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं, संलग्न प्रपत्र में अपना बायोडाटा और पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की प्रतियां, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। समस्त प्रकार से विधिवत भरे हुए आवेदन अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर या तो डाक द्वारा या ई-मेल brmab3ndbhopal@cag.gov.in के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित पहुंच जाने चाहिए।

कारी प्राची करें भी (उप निर्देशक)

क्रमांक. निवालेप/प्रशा/सेवानिवृत्त अधिकारियों को hire करना/110/2021-22/ प्रतिलिपि:

दिनांक: /05/2023

- 1. निदेशक (प्रशा.), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा), नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं भा.ले.ले.प. के सभी कार्यालयों में प्रेषित करने हेतु प्रेषित |
- 2. सूचना पटल.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन.



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (उर्जा) नई दिल्ली, शाखा- कार्यालय, चतुर्थ तल,प्रशासनिक भवन, बीएचईएल,भोपाल- 462022 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)NEW DELHI, BRANCH OFFICE BHOPAL, 4TH FLOOR, ADMN, BUILDING, BHEL, BHOPAL - 462022 Email – brmab3ndbhopal@cag.gov.in, Tel. 0755-2500721/2502350

No. DCA/Admn/Hiring of retired officers/110/2021-22/

NOTIFICATION

Date: /05/2023

Applications are invited from retired Senior Audit Officer (Commercials)/Audit Officers (Commercial) interested to work as Sr. Audit Officer (Commercial) on short term contract basis in Bhopal Branch office of Office of the Director General Audit (Energy), New Delhi in accordance with terms and conditions prescribed in Headquarters Office Circular No.27/2021 issued under No. 967-Staff (App-I/22-2016 dated 03.08.2021.

The following broad terms and conditions will be applicable to the contractual officials

- 1. The term of engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. The term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided that it shall not be extended beyond 5 years after Superannuation.
- 2. The Age should not be beyond 64 years.
- 3. The engagement can be terminated or curtailed by the office without assigning any reason.
- 4. The retired officers selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality with the Government of India containing a clause of Ethics and Integrity.
- 5. Remuneration and allowance payable will be governed by OM No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020, issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
 - i. A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
 - ii. There will be no annual increment/percentage increase during the contract period.
 - iii. No Dearness allowance and House Rent Allowances shall be allowed/admissible during the term of the contract.
 - iv. An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not

(470)

exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment.

- 6. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired officials hired on short term contract basis. Accumulation of leave beyond a calendar year shall not be allowed. However, absence during curfew, bandh/strike, lockdown should be dealt with in a similar way as in case of serving officials.
 - 9. If retired officer/ official hired on short term contract basis remain absent, beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration shall be deducted on prorate basis as under:

Fixed monthly remuneration X No. of days of absence on working days

22

- 10. The appointment will be purely on temporary basis.
- 1. The office reserves the right to cancel the notification or extend the due date or to issue a fresh notification.

Interested retired Sr. AOs/AOs of IA&AD fulfilling the eligibility criteria and willing for the above assignment may submit their Bio-data in the enclosed proforma and copies of APARs of last five years, Last Pay Certificate and Aadhaar Card. Applications duly filled in all aspects must reach the under signed either by post or through e-mail brmab3ndbhopal@cag.gov.in within 15 days from the issue of the notification.

No. DCA/Admn./Hiring of retired officers/110/2021-22/ Copy to:

- 1. Director (Admn.), O/o the Director General of Audit (Energy), New Delhi for information and further transmission to all the offices of I.A.A.D.
- 2. Notice Board.

Senior Audit Officer/Admn.

/04/2023

Date:

(42)

HIRING OF RETIRED OFFICIALS ON SHORT TERM CONTRACT BASIS IN THE BRANCH OFFICE AT BHOPAL OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY) NEW DELHL

आवेदन प्रपत्र

अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटों चिपकाएं

सं/क्र.SI No.	विवरण/Particulars	
1	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम/Name of the Retired official संपर्क का आवासीय पता/Residential address for communication, ईमेल आईडी/Email id मोबाइल फोन नं./Mobile Phone No.	
2	जन्मतिथि/Date of Birth	
3	সৰ্চন্য/Qualification a) হাঁম্মणিক/Educational b) ত্যবমাযিক/Professional	
4	सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख/Date of entry to	
5.	जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए, उसका नाम /Name of the Office from which retired	
6	सेवा की अवधि /Length of Service	
7	सेवानिवृत्ति की तारीखं/Date of retirement	
8	सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन / Last pay Drawn at the time of retirement	
9	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/Post held at the time of Retirement	
10	ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, जिस आधार पर सेवानिवृत्त हुए/In case of Voluntary retirement, ground on which retired	
11	अनुभव/Experience	5 वर्ष के APAR की प्रतियाँ सिंहत पृथक शीट संलग्न करें/Attach separate sheet along with copies of APARa for 5 years
12	मोबाइल न. & ईमेल आईडी/ Mobile No. & Email ID	
13	पद से संबंधित व्यवसायिक अनुभव प्रशिक्षण, कार्य के बारे में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो/ Additional information, if any, on Professional Experience training, work relevant to the post	

में एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर वर्णित विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है।

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

दिनांक/Date-

आवेदक के हस्ताक्षर/SIGNATURE OF APPLICANT